**संख्या-169/2018/2731/22-2-2017-17(659)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सीमित अवधि की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम 06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सीमित अवधि की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते पुत्र श्री छोटेलाल, जो बाजिदपुर, थाना-खंगार, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दहेज में मोटरसाइकिल की मॉग पूरी न होने पर बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06-08-2004 को रात्रि में अज्ञात समय अपनी पत्नी श्रीमती अनीता ऊर्फ कल्लो की गला दबाकर हत्या कर लाश को गायब कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/2005 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 01.02.2012 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 05 वर्ष 02 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते पुत्र श्री छोटेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते (बन्दी संख्या-26459) पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-169/2018/2731(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-169/2018/2731@22-2-2017-17(659)/2017

दिनांक 16 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सीमित अवधि की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते पुत्र श्री छोटेलाल, जो बाजिदपुर, थाना-खंगार, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दहेज में मोटरसाइकिल की मॉग पूरी न होने पर बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06-08-2004 को रात्रि में अज्ञात समय अपनी पत्नी श्रीमती अनीता ऊर्फ कल्लो की गला दबाकर हत्या कर लाश को गायब कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-68/2005 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 आई0पी0सी0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 01.02.2012 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 05 वर्ष 02 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 08 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र ऊर्फ जन्ते पुत्र श्री छोटेलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in